पत्र संख्या–सी/जी0बी0–5704/2014 ....

बिहार सरकार

गृह विशेष विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक।
सभी पुलिस अधीक्षक।
सभी कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडल।

पटना, दिनांक– सितम्बर, 2014

विषयः– कब्रिस्तान घेराबंदी की ऊँचाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में कब्रिस्तान घेराबंदी योजना को ग (विशेष) विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निदेशों के आलोक में कार्यान्वित कराई जा रही है। कब्रिस्त घेराबंदी के क्रम में घेराबंदी की ऊँचाई के संदर्भ में विभिन्न जिलों से स्पष्ट दिशा–निर्देश देने हेतु पूर्व मांग की जाती रही है।

इस संबंध में विभिन्न जिलों से हो रहे मांगों के मद्देनजर रखते हुए कब्रिस्तानों त घेराबंदी की ऊँचाई के संदर्भ में भली–भाँति एवं सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्ण लिया गया है कि राज्य के सभी वैसे चयनित संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की ऊँचाई सुरक्षा दृष्टिकोण से कम से कम 6 (छः) फीट रखी/की जाय जिसकी घेराबंदी अबतक नहीं हो पायी है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में कब्रिस्तान घेराबंदी की ऊँचाई के संदर्भ आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 9039. पटना, दिनांक 24/9/14.

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–1529, दिनांक 20.08.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई0टी0मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.9.14

सरकार के प्रधान सचिव।